न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 12/10–11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजूकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम्

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ़

प्राख्यापन

तहसीलदार खेरागढ़ की आख्या दिनांक 16.04.2012 से सन्तुष्ट होकर मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा की निम्नांकित भूमि को उ0प्र0 ज0वि0अ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951 की धारा 143 सहवादित नियम 135(3) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि नीचे वर्णित भूमि कृषि, मत्स्य पान, कुक्कट पालन जिसके अन्तर्गत संवर्धन नही, किया जा रहा है और ना ही इस उपयोग में आ रही है।

ग्राम का नाम, तहसील व जिला	भूमिधर का नाम व पता	भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल	भू–राजस्व
मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा	स्वराज कॉलेज ऑफ एजूकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।	खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर	8.75 रू0

उपरोक्त भूमि को उक्त व्यक्ति के नाम, अकृषिक भूमि होने के कारण भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है।

उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।

प्रतिलिपिः

1. उपनिबंधक खेरागढ को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि इस प्राख्यापन की एक प्रति पृष्ठाकन उपरान्त इस न्यायालय को वापस भेजे।
2. तहसीलदार खेरागढ को दो प्रतियां अमलदरामद हेतु।

उपजिलाधिकारी,
खेरागढ़, आगरा।
20/5/12

NOTARY GOVT. OF INDIA

मंजू गुप्ता

8

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 12/10—11

स्वराज कॉलेज ऑफ एजूकेशन द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा।

बनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा तेहरा तहसील खेरागढ

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल बैल फेयर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा। के प्रार्थना पत्र दिनांक 10—04—2012 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नही किया जा रहा हैं। अन्त में उसने उक्त स्कूल के नाम अंकित भूमि को आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ से जॉच आख्या मांगी गयी, तहसीलदार खेरागढ ने राजस्व निरीक्षक से आख्या प्राप्त कर एवं नियम 135(1) ज0वि0अधि0 के तहत नियत प्रारूप पर विस्तृत आख्या दिनांक 16.04.2012 में लिखा है कि प्रश्नगत सम्पत्ति तेहरा तहसील खेरागढ जि0 आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया की संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार मालिक काविज व स्वामिनी हूँ तथा प्रार्थीया की संस्था उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टेयर पर कॉजेल संचालित है तथा बिल्डिंग बनायी जा रही हैं प्रार्थीया की उक्त संस्था को उक्त भूमि का बिना बजय लगान अदा करना पड रहा हैं इसलिए प्रार्थीया अपनी उपरोक्त भूमि 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया की भूमि का अकृषकीय घोषित कराना चाहती है। उक्त आराजी भाग में किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन इत्यादि कार्य नही किया जा रहा हैं। उक्त भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है, वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व मैने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया, मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जि0 आगरा के खाता संख्या 724 के गाटा संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया कृषि कार्य के

COPYING SECTION Kheragarh S.D.M.

NOTARY PAWAN KUMAR SHARMA, Advocate Distt. AGRA Regd. No. 2223/02 GOVT OF INDIA

TRUE COPY

Presiding Officer

28/4/12

मंजू गुप्ता

प्रयो[illegible] में नही आ रही है। उक्त गाटा संख्याओं में वर्णित उक्त भूमि में मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोग में नही लाया जा रहा हैं। को अकृषिक घोषित किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जि0 आगरा के खाता संख्या 724 [illegible] संख्या 260ग रकवा 0.2990 हेक्टैयर लगानी 9.05 रूपया पर स्वराज कॉलेज ऑफ [illegible] द्वारा श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी बी0कके0 गुप्ता सचिव शान्ती निकेतन चैरिटे बिल [illegible] पर सोसायटी पंजी0 कार्यालय 2/363ए नामनेर आगरा को धारा उ0प्र0 ज0वि0अ0 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 16.04.2012 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ़ को भेजी जाए प्राख्यापन जारी हो। वाद [illegible] कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

COPYING SECTION Kheragarh S.D.O./S.D.M.

उपजिलाधिकारी खेरागढ़,
आगरा।

TRUE COPY
Presiding Officer
28/5/12

क्रमांक 85
आवेदक का नाम [illegible]
आवेदन की तिथि 27/5/12
प्रति तैयार होने की तिथि 28/5/12
शब्दों की संख्या 426
शुल्क [illegible] 7=00
[illegible]
प्रति लिपिक [illegible] हस्ताक्षर
28/5/12

NOTARY PAWAN KUMAR SHARMA, Advocate Distt. AGRA Regd. No. 2[illegible]/02 GOVT. OF INDIA